

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(505/43)2021/एफसीए/प्रमुवसं/290

दिनांक 27/1/25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-Diversion of 0.9830 ha. for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola, Tehsil-Suratgarh, District-Sri Ganganagar (Rajasthan)

(Proposal No. FP/RJ/Sch./148169/2021)

सन्दर्भ:-राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(142)वन/2022 दिनांक 24.11.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक 499 दिनांक 15.01.2025 से प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार प्रेषित हैं:-

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोईगैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 पौधों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की राशि कैम्पा फंड में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है— सी.ए (Planting of 100 plants) राशि —1,03,600 /— यू.टी.आर. नं. — SCH1481692021710 दिनांक — 18.05.2023 (प्रति संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.9830 हैक्टेयर हेतु एन.पी.वी. राशि कैम्पा फंड में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- एन.पी.वी. राशि — 6,58,748 /— यू.टी.आर. नं. — SCH1481692021710 दिनांक — 18.05.2023 (प्रति संलग्न) CA - 1,03,600/- NPV - 6,58,748/- Total - 7,64,348/-
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षमस्तर से यदि एन. पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
14	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में

द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	अक्षरशः प्रकाशित करवा दिये गये हैं। (प्रति संलग्न) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
---	---

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(505/43)2021/एफसीए/प्रमुखसं/
प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक

/
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए)
अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Jaipur	Select State :	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All		
Bank Name :	--Select All--	Mode of Payment :	--Select All--
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	148169		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/SCH/148169/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/SCH/148169/2021) Diversion of 0.9830 Hectar for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola, Tehsil-Suratgarh, District-Sri Ganganagar (Rajasthan)"	SCH1481692021710	24 Nov 2022	CA: 103600/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 658748/- Total :762348/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 12 May 2023 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 13 May 2023 Transaction Date 18 May 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/120520230904106391_FPRJSCH1481692021_User_Fund_Deman Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=SCH1481692021710)

SWACHH BHARAT
(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in
(HTTPS://WWW.INDIA.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.INDIA.GOV.IN/EN/)

my gov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

MeitY

(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
 Accessibility Statement (Accessiblitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

E-mail - ccf.bknr.forest@rajasthan.gov.in & Phone: Office 0151-2200321 कोठी नं.8 केम्पस, बीकानेर-334001(राज.)

क्रमांक : एफ12 (333) सर्वे/संयुक्त/2022-23/00292/499

दिनांक : 15/01/2025

निमित्त

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.9830 ha of forest land for Construction of Existing School establish since 1963 for Extension Government Secondary School at Village Rampura Nyola, Tehsil Suratgarh, District - Sriganganagar Rajasthan. (Proposal No. : FP/RJ/SCH/148169/2021)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1 (142)वन/2022 जयपुर, दिनांक 24.11.2022 एवं उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर का पत्रांक 9837 दिनांक 26.12.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Proposal No. FP/RJ/SCH/148169/2021 में राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1 (142)वन/2022 जयपुर, दिनांक 24.11.2022 से जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 9837 दिनांक 26.12.2024 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र सं	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोईगैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Harumana Ram
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2025.01.15 16:25:30 IST
Reason: Approved



By Road
21/01 3576
22/01/25

10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 पौधों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की राशि कैम्पा फंड में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है— सी.ए. (100 sampling) राशि — 1,03,600 /— यू.टी.आर. नं. — SCH1481692021710 दिनांक — 18.05.2023 (प्रति संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यू.टी.आर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.9830 हैक्टेयर हेतु एन.पी.वी. राशि कैम्पा फंड में जमा करवायी गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :- एन.पी.वी. राशि — 6,58,748 /— यू.टी.आर. नं. — SCH1481692021710 दिनांक — 18.05.2023 (प्रति संलग्न)
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षमस्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।
14	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिये गये हैं। (प्रति संलग्न) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- मूल पत्रावली 2 मय 12 कॉलम प्रपत्र।

क्रमांक : एफ12 (333) सर्वे/संमुखसं/2022-23/00292/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
2. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा
godarar2000@gmail.com}

(हनुमाना राम)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकानेर
दिनांक :

न्यौला, सूरतगढ -305006 {Email :

Signature valid

Digitally signed by Hanumana Ram
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2025.01.15 16:25:30 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर

क्रमांक :- एफ()सर्व/उवस/2022-23/१८३७

दिनांक :- 24/12/24

निमित्त :-

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय,
बीकानेर (राज.)

विषय :- Diversion of 0.9830 Hecter for construction of existing school established since 1963 for extension government secondary school at village- Rampura Nyola, Tehsil- Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan.

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(142)वन/2022 जयपुर दिनांक।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(142)वन/2022 जयपुर दिनांक द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.12.26 17:33:10 IST
Reason: Approved



	तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा रु 103600/- जमा करा दिये गए हैं। चालान की प्रति संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जावेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा रु 658748/- जमा करा दिये गए हैं। चालान की प्रति संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की राशि की बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उपयोगकर्ता एजेंसी पालना के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.12.26 17:33:10 IST
Reason: Approved

14	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें दिये गए हैं। प्रति संलग्न है।
----	--	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पत्रावली-3

भवदीय

(रमेश कुमार)

उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

क्रमांक :- सम/ 9838

दिनांक :- 26/12/24

प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.12.26 17:33:10 IST
Reason: Approved

Deputy Conservator of Forest, Sri Ganganagar (Rajasthan)

Pro Forma For Verification Of Deposits In Compensatory Afforestation Fund

1	Name of Regional Office	Regional Chief Conservator of Forest, Bikaner					
2	State/District/Forest Division to which the Proposal Relates	Rajasthan/Sri Ganganagar/ Sri Ganganagar					
3	Name of User Agency	DISTRICT EDUCATION OFFICER SECONDARY EDUCATION SHRI GANGANAGAR					
4	Nature and Category of Proposal	Online, School					
5	Proposal Number	FP/RJ/SCH/148169/2021					
6	Extent of Forest area involved	0.983 hact.					
7	Whether original or extension	Original					
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area and if so, specify	No					
9	Date of 1 st Stage Clearance.	Date 24-11-2022					
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz	-					
(a)	Compensatory Afforestation	Rs. 1,03,600/-					
(b)	Additional Compensatory Afforestation	-					
(c)	Penal Compensatory Afforestation	-					
(d)	Catchment Area Treatment	-					
(e)	Wildlife Management Plan	-					
(f)	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas	-					
(g)	Net Present Value	Rs. 6,58,748/-					
(h)	Any other Charges Levies (Please Specify)	-					
	Total	7,62,348/-					
11	Whether payment made through challan or otherwise, In case of Online payment, details of challan.	Online					
12	Details of deposits.						
S. No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/Others (Specify))	Whether by RTGS/DD/NE FT.(Specify)	UTR No./ Application no.	Amount deposited (Rs.)	Date of Deposit	Name of Bank from Which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA AND NPV	RTGS	SCH1481692021710	762348/-	18.05.2023	Union bank of india	1508562148169710

(RAMESH KUMAR)
Dy. Conservator of Forest
Sri Ganganagar

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.12.26 17:33:10 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in

Phone & Fax No. 0154-2472339)

प्रमाण-पत्र

(Proposal No. : FP/RJ/SCH/148169/2021)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रस्ताव संख्या FP/RJ/SCH/148169/2021 में प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।

(रमेश कुमार)

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2024.12.26 17:33:10 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार सत्यमेव जयते शिक्षा विभाग

**कार्यालय:- प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्यौला
जिला श्रीगंगानगर(राज.)**

क्रमांक:-रा.उ.मा.वि./रामपुरा न्यौला/वन भूमि Diversion/2024-25/1738

दिनांक:- 23/12/2024

प्रेषक:-

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला(सुरतगढ़) जिला-श्रीगंगानगर।

प्रेषित:-

श्रीमान उपवन संरक्षक
श्रीगंगानगर।

विषय:- Diversion of 0.9830 Hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar, Rajasthan,

Proposal No. FP/RJ/SCH/148169/2021 के अन्तर्गत Second stage की पालना रिपोर्ट मय समस्त संलग्नक प्रेषित एवं विधिवत स्वीकृति जारी करने के क्रम में।

सन्दर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प. 1(142) वन/2022, जयपुर दिनांक 24-11-2022 एवं श्रीमान उपवन संरक्षक श्रीगंगानगर का कार्यालय पत्रांक 7861, दिनांक 19-12-2022 एवं पत्रांक एफ () सर्वे/उवसं/2022-23/1773, दिनांक 10-05-2023

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित आदेशों की पालना में समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित कर Second stage की पालना रिपोर्ट संलग्न कर आपको चार पत्रावलियों में प्रेषित की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या सुनिश्चित करने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति जारी करने की अनुकम्पा कर अनुगृहित करें।

संलग्न उक्तानुसार

(ओम प्रकाश)

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ.कोड-2255
(M) 9783552456

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या

Forest land Proposal "Forest diversion Proposal for 0.9830 hector Land for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan", हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ के गांव रामपुरा न्यौला की कुल 0.9830 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में वन भूमि का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्यावर्तन भूमि हेतु नियमानुसार ग्राम सभा स्तर, उपखण्ड स्तर, जिला स्तर, से अनुमोदन कार्यवाही पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक ZP/FRA/24-25/HGT/46, दिनांक 30-10-2024 द्वारा FRA Certificate जारी करने के बाद राज्य सरकार द्वारा पूर्व से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की पालना/अनुपालना आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।


(ओम प्रकाश)
प्रधानाध्यापक
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ.कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 1 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

CS
10/12/24
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Yours Faithfully

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

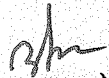
Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 02 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

CS
10/11/22
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Yours Faithfully


(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 03 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

CS
16/12/24
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 04 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

CS
10/12
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 05 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

CS
10/11
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्योला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 06 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

CS
10/11
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 07 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

CS

10/12/24

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 08 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक ZP/FRA/24-25/HGT/46, दिनांक 30-10-2024 द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर पत्रावली विचार योग्य है।

(संलग्न:- FRA Certificate)

CS
10/11
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Yours Faithfully

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of- Rajasthan
Office of the District Collector Sri Ganganagar
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

S.No. ZP/FRA/24-25/HUT/46

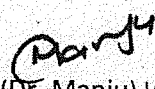
Dated- 30/10/2024

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.9830 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **District Education Officer Secondary Education Sri Ganganagar** for **Construction of existing school established since 1963 for Extension Government Secondary School** in Sri Ganganagar district falls within jurisdiction of Rampura Nyola in Suratgarh tehsil.

It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9830 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure -1 to 4.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Rampura Nyola Gram Panchayat is enclosed as annexure - I
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Ends.: As above.

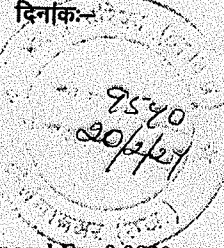

(Dr. Manju) IAS
District Collector, Sri Ganganagar

SDM

Report

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/एफआरए/2024/

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

विषय:- Forest Land purposal"Forest Deversion Proposal For 0.9830
Heq. Forest Land Construction Of Exesting School
Established Since 1963 For extension goverment Secondary
school at village Rapura Nyola tehsil suratgarh District-Sri
ganaganagar in the state of rajasthan.

प्रसंग:-आपका पत्रांक/अनु०जजा०/पर०वन०नि०/2019-24/2289-90
दिनांक 03.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि Forest Land
purposal"Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Construction
Of Exesting School Established Since 1963 For extension goverment Secondary
school at village Rapura Nyola tehsil suratgarh District-Sri ganaganagar in the
state of rajasthan. हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ की कुल 0.9830 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के
संबंध में वन भूमि का अनुभूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्यावर्तन भूमि हेतु नियमानुसार ग्राम समा स्तर एवं उपखण्ड
स्तर से अनुमोदन करवाकर कार्यवाही विवरण सहित आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित
है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़
दिनांक: 02.02.2024

क्रमांक/राजस्व/एफआरए/2023/ 2)20

प्रतिलिपि :- श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

रजि.उ.सू. व.रा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/एफआरए/2024/2119

दिनांक:- 02.02.2024

✓ श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर

RECEIVED	4
DATE	
BY	परमपूजा व न
TIME	12/2/24



विषय:- Forest Land purposal"Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Construction Of Exesting School Established Since 1963 For extension goverment Secondary school at village Rapura Nyola tehsil suratgarh District-Sri ganaganagar in the state of rajasthan.

प्रसंग:-आपका पत्रांक/अनु0जजा0/पर0वन0नि0/2019-24/2289-0
दिनांक 03.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि Forest Land purposal"Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Construction Of Exesting School Established Since 1963 For extension goverment Secondary school at village Rapura Nyola tehsil suratgarh District-Sri ganaganagar in the state of rajasthan. हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ की कुल 0.9830 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में वन भूमि का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्यावर्तन भूमि हेतु नियमानुसार ग्राम सभा स्तर एव उपखण्ड स्तर से अनुमोदन करवाकर कार्यवाही विवरण सहित आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़
दिनांक:-

क्रमांक/राजस्व/एफआरए/2023/

प्रतिलिपि :-श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) श्रीगंगानगर
क्रमांक: अनु0जजा0/पर0वन0नि0/2019-24/२२९७-९८

दिनांक:- 30-11-23

1. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़।

विषय :- Forest Land Proposal For "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest land Construction of Exesting School Established since 1963 for extension government secondary school at Village- Rampura Nyola the. Suratgarh, District - Sri Ganganagar in the state of Rajasthan.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र से प्राप्त एफआरए प्रकरण के संबंध में लेख है कि भारत सरकार से वन भूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत जिलाधिकारी समिति द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाना अपेक्षित हैं।

अतः उक्तानुसार आप अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित Forest Land Proposal For "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest land Construction of Exesting School Established since 1963 for extension government secondary school at Village- Rampura Nyola the. Suratgarh, District - Sri Ganganagar in the state of Rajasthan. करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत की भूमि जो कि पंचायत समिति सूरतगढ़ में कुल 0.9830 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध वन भूमि का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तहत प्रत्यावर्तन भूमि हेतु नियमानुसार ग्राम सभा स्तर से, व उपखण्ड स्तर से अनुमोदन करवाकर पूर्ण कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाये ताकि नियमानुसार जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर वन विभाग को भिजवाये जाने वाला प्रपत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से जारी करवाया जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(भवानी सिंह पवार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद श्रीगंगानगर

क्रमांक :- अनु0जा0जजा/परा0 वन निवासी/2019-24/२२९७-९८

दिनांक :- 30-11-23

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को सादर सूचनार्थ।
- 2 प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विधालय, रामपुरा न्यौला, सूरतगढ़।

(भवानी सिंह पवार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) श्रीगंगानगर

क्रमांक: अनु0जजा0/पर0वन0नि0/2019-24/

दिनांक:- 3-10-23

1. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़।

विषय :- Forest Land Proposal For "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest land Construction of Exesting School Established since 1963 for extension government secondary school at Village- Rampura Nyola the. Suratgarh, District - Sri Ganganagar in the state of Rajasthan.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र से प्राप्त एफआरए प्रकरण के संबंध में लेख है कि भारत सरकार से वन भूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत जिलाधिकारी समिति द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाना अपेक्षित हैं।

अतः उक्तानुसार आप अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित Forest Land Proposal For "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest land Construction of Exesting School Established since 1963 for extension government secondary school at Village- Rampura Nyola the. Suratgarh, District - Sri Ganganagar in the state of Rajasthan. करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत की भूमि जो कि पंचायत समिति सूरतगढ़ में कुल 0.9830 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध वन भूमि का अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तहत प्रत्यावर्तन भूमि हेतु नियमानुसार ग्राम सभा स्तर से, व उपखण्ड स्तर से अनुमोदन करवाकर पूर्ण कार्यवाही विवरण के साथ इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाये ताकि नियमानुसार जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर वन विभाग को भिजवाये जाने वाला प्रपत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से जारी करवाया जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(मुहम्मद जुनैद) IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद श्रीगंगानगर

क्रमांक :- अनु0जजा0जजा/पर0 वन निवासी/2019-24/

दिनांक :- 3-10-23

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को सादर सूचनार्थ।
- 2 प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विधालय, रामपुरा न्यौला, सूरतगढ़।

(मुहम्मद जुनैद) IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद श्रीगंगानगर

BDO
Report

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/एफआरए/2024/ 2113

दिनांक:- 02.02.24

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

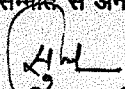
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/192015/एफ सी/201 दिनांक 02.06.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक .6(14)प्रसु/अनु/-3/2008(1) दिनांक 14.03.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 31.01.2024 को दोपहर 12.00 बजे उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. तहसीलदार, सूरतगढ़
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सूरतगढ़
4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत निरवाणा

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया।

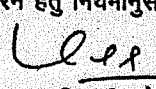
वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- Forest Land purposal "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Construction Of Exesting School Established Since 1963 For extension government Secondary school at village Rapura Nyola tehsil suratgarh District-Sri ganaganagar in the state of rajasthan. के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र के अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर के पत्रांक/अनु0जजा0/पर0वन0वि0/2019-24/2289-90 दिनांक 03.10.2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत हुआ।

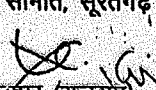
ग्राम पंचायत निरवाणा की बैठक दिनांक 12.01.2024 के प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार बैठक में वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत निरवाणा द्वारा वन भूमि 0.9830 हेक्टर प्रत्यावर्तन के लिए फोरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत विषय वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Construction Of Exesting School Established Since 1963 For extension government Secondary school at village Rapura Nyola tehsil suratgarh District-Sri ganaganagar in the state of rajasthan. हेतु अनापत्ति जारी कर सहमति व्यक्त की है। उक्त भूमि पर किसी भी जन जाति अथवा कुषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। संबंधित ग्राम पंचायत की वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है का प्रमाण पत्र भिजवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। अतः सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत निरवाणा


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सूरतगढ़


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़


विकास अधिकारी
पंचायत समिति, सूरतगढ़


तहसीलदार (राजसब)
सूरतगढ़

यालय पंचायत समिति सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर)

.mail-bdo.gan.sur@gmail.com)

क्रमांक/पंचा/5984

(Phone no. 01509-220070224270)

दिनांक: 18-01-2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

विषय:— Forest Land Proposal For "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Costruction of Exesting School Established since 1963 For extension government secondary school at Village Rampura Nyola. Tehsil Suratgarh district Sri Ganganagar in the State of Rajasthan.

प्रसंग:— आपका पत्रांक 5357-58 दिनांक 06.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Forest Land Proposal For "Forest Deversion Proposal For 0.9830 Heq. Forest Land Costruction of Exesting School Established since 1963 For extension government secondary school at Village Rampura Nyola. Tehsil Suratgarh district Sri Ganganagar in the State of Rajasthan के संबंध में वनभूमि का संश्लेषित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रत्यावर्तन भूमि हेतु ग्राम पंचायत निरवाना द्वारा नियमानुसार ग्रामसभा में अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्तुत किया गया है। जोकि मूल ही आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान जी को सादर प्रेषित है।

सलग्न-उपरोक्तानुसार।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सूरतगढ
दिनांक: 18-01-24

क्रमांक: 5985-89

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
3. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत निरवाना।
4. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्यौला निरवाना।
5. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सूरतगढ

कार्यालय ग्राम पंचायत, निरवाणा

पंचायत समिति - सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानगर (राज.)

प्रेषक :-

रामकुमार घोयल
(सरपंच)

ग्राम पंचायत - निरवाणा

पं. सं. - सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानगर

(M) 97838-84177, 82098-51336



प्रेषित :-

श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय

पंचायत समिति

सूरतगढ़.

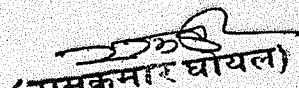
क्रमांक : SP-1

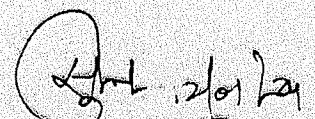
दिनांक 12/01/24

विषय :- Forest Land Proposal for "Forest Deversion Proposed for 0.9830 Hect. forest land Construction of Existing School Established Since 1963 for Extension Government Secondary School of village - Rampura nyala the Suratgarh District - Sri ganganganagar into the state of Rajasthan.

प्रस्ताव :- आपका फ़ोन - 5445 दिनांक 28-11-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत में 0.9830 हे. वन भूमि प्रत्यापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन ग्राम सभा दिनांक 12/01/2024 के प्रस्ताव से 01 के द्वारा कर दिया गया है जिसकी प्रति सलंगन के (आगत) कार्यवाही हेतु डी.मिनर को प्रेषित है।


(रामकुमार घोयल)
सरपंच
ग्राम पंचायत निरवाणा
पं. सं. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)


सुनील कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत निरवाणा
पं. सं. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

आज दिनांक 12/01/2024 को ग्रामिण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक 8304337 दिनांक 08/01/24 एवं जिला परिषद श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 2467 दिनांक 10/01/24 की अनुपालना में विकसित भारत संकल्प आग अन्तर्गत ग्राम सभा एवं कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न उपरिनिर्दिष्ट गण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे -

क्र.सं.	नाम अधिकारीगण	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	श्री सन्दीप कुमार	SDM	राजस्व	
2	श्री हजारीराम मील	उपग्राम	पंचायतीराज	
3	श्री हरिवृष्ण सिद्धा	BD0	"	
4	" रामकुमार दीक्षित	स्मरण	"	
5	" सन्दीप कुमार कासनिवा			
6	" स्वर्ण सिंह	प्रधानाचार्य शिक्षा		
7	" जयसवीर सिंह	ABDO	पंचायतीराज	
8	" गौरव कन्वोज	AG / PMSO		
9	" संजय जातिड़	उका / PMSO		
10	" Abhinav Bhowal	JEN / P.S. SOG.		
11	" जितें सिंह	कंसो		
12	" आनिल कुमार	PMSO		
13	श्री सुनील कुमार	VD0	प.रा.	
14	श्री सीताराम	प्रबन्धन निवासी		
15	सुनील कुमार	प्रबन्धन निवासी		
16	दिनेश कुमार	प्रशिक्षण विभाग	निरवाणा	
17	रश्मि कल्ला	ऑफिस PMSO	निरवाणा	
18	सुखलाल	वरिष्ठ निवासी	मोटापेकी विभाग	
19	र. अंशु कासदेव	Jen / JEPVVAI SOY		
20	सुनील कुमार	Techn	निरवाणा	
21	सोहन लाल जीवा	नागरिक प्रशासन	निरवाणा	
22	रजनी गुप्ता	A.O. (P.S.)	कृषि विभाग	
23	अरुण	A.A.O. मंडला	कृषि विभाग	
24	सुन्दरलाल	MS निवासी	कृषि	
25	मोहन लाल	AAO - अग्रि	कृषि	
26	अश्विनी कुमार	STLS BCDO सुला	स्वास्थ्य विभाग	
27	दीपक शर्मा	कडमर टाई	"	
28	अंशु शर्मा	LT. CHC निवासी	"	
29	श. व. मारामा	मोटापेकी विभाग	"	

मोटापेकी विभाग (निरवाणा) निवासी
मोटापेकी विभाग (निरवाणा) निवासी
मोटापेकी विभाग (निरवाणा) निवासी

सुदीप कुमार CHC Rajwara MO स्वास्थ्य विभाग

सुमन CHC Rajwara सुमन

पवनी देवी नर CHC Rajwara पवनी देवी

ममता निरवाणा ममता

अनुसुया भासा अनुसुया

सुनीता निरवाणा सुनीता

शारदा आशा शारदा देवी

वीना निरवाणा वीना

अश्विनी विष्ट ASD/PMED/DOJ

सुनीता दाई निरवाणा राजीविम.प. सुनीता दाई

वीना दाई निरवाणा राजीविम.प. वीना दाई

पुनीत रानी निरवाणा राजीविम.अध्यक्ष पुनीत रानी

दिलपल मौर निरवाणा कुवि संस्था दिलपल मौर

रश्मि देवी निरवाणा निरवाणा म.प. रश्मि देवी

गीता जी ICD5 म.प. गीता जी

स्वर्णमोहर आ. वा. - कविमती स्वर्णमोहर

बुद्ध बाला " " बुद्ध बाला

शिमला दाई " " शिमला

मुशी देवी " " मुशी देवी

मधुश्री देवी " " मधुश्री देवी

निर्मला " " निर्मला

कोशला आ. वा. - मधुश्री देवी कोशला

मनदीप मनदीप मनदीप

रमेश्वरी देवी " " रमेश्वरी देवी

ममता रानी " " ममता रानी

अश्विनी देवी " " अश्विनी देवी

विकास दीप " " विकास दीप

जसपाल सिंह " " जसपाल सिंह

बुद्धमोहिनी देवी " " बुद्धमोहिनी देवी

निरवाणा " " निरवाणा

सुनील कुमार " " सुनील कुमार

सुनील कुमार " " सुनील कुमार

सुनील कुमार " " सुनील कुमार

सुनील कुमार " " सुनील कुमार

सुनील कुमार " " सुनील कुमार

सुनील कुमार " " सुनील कुमार

दिनांक - 12/11/24

Kamal®

प्रस्ताव सं. 01	परमपंच महोदय द्वारा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा कि कार्यलय जिजा परिसर (ग्र. वि. प्र.) श्री गंगोत्तार के पत्र क्र. 2289-90 दिनांक-03/10/2023 एवं श्रीमान उपस्थित अधिकारी सूरतगढ़ के पत्र क्र. 5357-58 दिनांक 06/11/2023 के अनुसार	श्रीमान देवी
सिद्धा सिंह	Forest Land Proposal for "Forest Deversion per proposal for 0.9830 Hec. forest land (conservation of Existing School Established since 1963 for Extension Government Secondary School of Village - Rampura Nyaal Dist. - Surajgarh Dist. In Jangaragar in the State of Rajasthan करने हेतु ग्राम पंचायत की भूमि जो कि पंचायत समिति सूरतगढ़ में कुल 0.9830 हेक्टेयर वन भूमि उत्पावर्तन के सम्बन्ध वन पट्ट वन भूमि का क्षिण्वित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत उत्पावर्तन भूमि हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत सभा स्तर से अनुमोदन हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिये उक्त विषय को ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थित किया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया कि बताया कि उक्त भूमि पर 21.03.2023 में ग्रामपुरा न्याला संचालित है। उक्त भूमि का उपयोग विद्यालय के रूप में सर्वजन हित में किया जा रहा है।	श्रीमान सिंह
श्रीमान सिंह	निर्णय:- उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर वन भूमि उत्पावर्तन की आगामी कार्यवाही हेतु निष्पत्ति ज्ञान का निर्णय पारित किया गया।	श्रीमान सिंह
प्रस्ताव सं. 02	निम्न पक्ष कोरम/सभा के समक्ष पुनर्विधि मान्यकरण हेतु पेश किया गया।	श्रीमान सिंह
श्रीमान सिंह	श्रीमान कुमार लाल	श्रीमान सिंह
ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम पंचायत	श्रीमान सिंह
पं. स. सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)		श्रीमान सिंह

राजस्थान सरकार
वन विभाग

(5ए मोजपुरा पदमपुर रोड श्रीगंगानगर)

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in & dcf.raj.sgnr@gmail.com Phone & Fax No. 0154-2472339

क्रमांक:-एफ ()सर्वे/उवसं/2022-23/1743

दिनांक :- 10/5/2023

निमित्त,

प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्यौला
सुरतगढ़।

विषय :- Diversion of 0.9830 Hecter for construction of existing school established since 1963 for extension government secondary school at village-Rampura Nyola, Tehsil- Suratgarh, District- Sri Ganganagar, Rajasthan.

Proposal No. FP/RJ/SCH/148169/2021

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प.1(142)वन/2022 जयपुर दिनांक, इस कार्यालय के पत्रांक 7861 दिनांक 19.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निम्न शर्तों की पालना प्रयोक्ता एजेन्सी से अपेक्षित की गई है। अतः राज्य सरकार की उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पतन सहित निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के फस में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि 103800/- रु. जरिये ई-चालान जमा करावें।

- (51)
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.08.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी)की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जावेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि 870140/- रु. प्रति हैक्टेयर से आवश्यक धन राशि 858748/- रु. जरिये ई-चालान जमा करावें।

12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की राशि की बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- कृपया उपरोक्त सभी शर्तों की पालना कर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(एस. के. आबुसरिया) IFS
उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

क्रमांक :- सम/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 09 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

CS
10/12/24
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Yours Faithfully

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्योला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

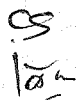
Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 10 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।


रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर


(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 1,03,600/- एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 6,70,140/-रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से आवश्यक धनराशि 6,58,748/-रु0 की योग समेकित राशि 7,62,348/-रु0 (सात लाख बासठ हजार तीन सौ अड़तालीस रु0 मात्र) जरिये ई-चालान सं0 GR NO. PUMBR5202305181-4930834, दिनांक 18-05-2023 पंजाब नेशनल बैंक निरवाणा (सूरतगढ़) जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) द्वारा जमा करवा दी गयी है। चालान की प्रमाणित छाया प्रति सलंगन प्रेषित है। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सलंगन:- चालान की प्रमाणित प्रति)

Yours Faithfully


(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456



रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Union Bank of India Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-05-2023

Agency Name.	DISTRICT EDUCATION OFFICER SECONDARY EDUCATION SHRI GANGANAGAR
Application No.	62148169710
MoEF/SG File No.	1(142)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	WVJ7+WFF, OLD CITY SRI GANAGANAGARSri Ganganagar
Amount(In Rs)	762348/-

Amount in Words : Seven Lakh Sixty-Two Thousand Three Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0096335
Pay to Account No.	1508562148169710 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक श्रीगंगानगर
DDO Code-2735

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 11 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी., दिनांक 05-02-2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA, दिनांक 09-06-2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करवा दी गयी है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की गयी है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक चालान/यू.टी.आर.संख्या/एनईएफटी नम्बर छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि मदवार विवरण शामिल है) प्रेषित की जा रही है। तदोपरांत विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार स्वीकृति जारी करने की अनुकम्पा कर अनुगृहित करें।

104
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्योला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

लगातार पेज-14

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि 6,70,140/- रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से आवश्यक धनराशि 6,58,748/-रु0 जरिये ई-चालान संख्या GRNo.PUMBR5202305181-4930834, दिनांक 18-05-2023, पंजाब नेशनल बैंक निरवाणा(सूरतगढ़), जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान) द्वारा जमा की गयी है। जिसमें वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 1,03,600/-रु0 शामिल कर कुल चालान राशि रु0 7,62,348/-रु0 वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(सलंगन:- चालान की प्रमाणित प्रति)

Yours Faithfully


(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M)9783552456


रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-05-2023

Agency Name.	DISTRICT EDUCATION OFFICER SECONDARY EDUCATION SHRI GANGANAGAR
Application No.	62148169710
MoEF/SG File No.	1(142)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	WVJ7+WFF, OLD CITY SRI GANGANAGAR SRI Ganganagar
Amount(In Rs)	762348/-

Amount In Words :Seven Lakh Sixty-Two Thousand Three Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0998335
Pay to Account No.	1508562148169710. Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

(ओम प्रकाश)

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)

डी.डी.ओ. कोड-2255

(M) 9783552456

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक श्रीगंगानगर

DDO Code-2735

(ओम प्रकाश)

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)

डी.डी.ओ. कोड-2255

(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 12 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की राशि की बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

CS

10/11/2021

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Yours Faithfully

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 13 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। प्रयोक्ता अभिकरण शर्त की पालना हेतु हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Yours Faithfully

CS
10/11
रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय.
रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 14 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त अनुसार भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफ. सी, दिनांक 24-07-2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07-11-2012 को पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित की गयी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवाकर जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति के 30 दिवस के अन्दर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर लिया गया है। हिन्दी में प्रकाशित दैनिक भाष्कर राष्ट्रीय समाचार पत्र श्रीगंगानगर में 31 मई 2023 को पृष्ठ संख्या 19 पर एवं अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस चण्डीगढ़ में 2 जून 2023 को उक्त स्वीकृति प्रकाशित करवा दी गयी है।

- (सलंगन:- 1. दैनिक भाष्कर समाचार पत्र श्रीगंगानगर दिनांक 31 मई 2023 (हिन्दी समाचार पत्र)
2. इंडियन एक्सप्रेस चण्डीगढ़ दिनांक 2 जून 2023 (अंग्रेजी समाचार पत्र))

CS

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सुरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

Yours Faithfully

लगातार पेज-18

में आज होगा कीर्तन

क किया जाएगा।

वन विष्णु श्री गणपति महाराज विभिन्न देवी-देवताओं की क पुस्तान किया जाएगा। इन शाम 5:30 से 7:00 वजे नजन-कीर्तन होगा। इस कार्यक्रम सफल बनाने में लाजपत राय, विनोद कुमार सोई, संदीप, आदेश बागला, विनोद, पार्श्व कमल नारंग, यश रिकू कुंदन लाल बत्तार, जीवन विजय अरोड़ा, कृष्ण कुमार, डॉ मनोष जगगा, महेंद्र जैन, खुराना, संजय बत्तार, संजय आदि जुटे हुए हैं।

द्वि में तीन दिवसीय मेला प्राएं आना होंगी शुरू

ददाता। श्रीगंगानगर

श्याम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में मासिक मेला प्रारंभ हो गया है। द्वारा ओम श्री श्याम देवाय नमः मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो गया। श्रद्धालुओं को महामंत्र जाप के सा के पाठ भी श्रवण करवाए। बाला ने बताया कि शाम को ताली सेवादार शर्मा के संयोजन में र्ग गया।

पर सुबह 6:30 विनोबा बस्ती से रथ यात्रा प्रारंभ होगी जो कि संपन्न होगी। बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाएगा। श्रद्धालुओं की आदरों की इष्टियां लगा दी गई है। गण पूरी तरह खुला रहेगा। बुधवार श्रद्धालु मंदिर प्रांगण तक नाचते, गाते, हाथों में लहराते मंदिर प्रांगण

त का पूरा फल

गे श्रद्धालु

का विशेष महत्व

आम व पंखी का दान: निर्जला पर पीने के पानी की मटकी का से दान किया जाता है। मटकी आम, ओछा, सेवइयां, चीनी, शि और हवा के लिए पंखी का दान जाता है। श्रद्धालु लोग मंदिरों सहित बहन, बेटियों व जरूरतमंदों को का दान करते हैं। वहीं, पशु, पक्षियों भी निर्जला एकादशी पर शीतल व व्यवस्था की जाती है।

एकादशी तिथि : पंडित कालूराम मुताविक एकादशी तिथि 30 मई को 01 बजकर 07 मिनट पर शुरू हो और इसका समापन 31 मई दोपहर 45 मिनट पर होगा। ऐसे में एकादशी व्रत 31 मई के दिन रखा इस विशेष दिन पर स्वार्थ सिद्ध कर रवि योग का निर्माण हो रहा है, 05 बजकर 24 मिनट से सुबह 6 रहेगा।

क्रमांक: प.1(142) वन/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान जयपुर।

जयपुर, दिनांक 24-11-2022

विषय- Diversion of 0.9830 Hecter for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola Tehsil-Suratgarh District Sri Ganganagar (Rajasthan) (FP/RJ/SCH/148169/2021)

संदर्भ: आपका पत्रांक एफ 14 (505/43) 2020/एफसीए/प्रमुवस/3462

दिनांक: 18.9.2022

महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्योला सूरतगढ़

द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्योला सूरतगढ़ के निर्माण के लिए वन भूमि प्रस्तावित हेतु 0.9830 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नेडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वनसंरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9830 Hecter for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola Tehsil-Suratgarh, District Sri Ganganagar (Rajasthan)) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्ष वन विभाग को बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति: न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करयेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP, (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife, Clearance Portal) द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या: 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 CAMPA दिनांक 9.6.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एम.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के पदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम रतर से यदि एन.पी.बी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो यही हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

1. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करायें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(वेकटेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अपर वन महानिदेशक- वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नेडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जाये।
4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर।
6. उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर।
7. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्योला, सूरतगढ़ - 305006
8. रक्षित पत्रावली

(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन

राजस्थान सरकार, वन विभाग

क्रमांक : प. 1 (142) वन/2022
जयपुर, दिनांक : 24.11.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर।
विषय :- Diversion of 0.9830 Hectar for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola, Tehsil-Suratgarh, District-Sri Ganganagar (Rajasthan) (FP/RJ/SCH/148169/2021)

संदर्भ :- अपका पत्रांक एफ 14 (505/43) 2020/एफसीए/प्रमुख/3462 दिनांक 18.09.2022

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्योला, सुरतगढ़ द्वारा वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्योला, सुरतगढ़ के निर्माण के लिए वन भूमि प्रस्तावित हेतु 0.9830 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.9830 Hectar for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola, Tehsil-Suratgarh, District-Sri Ganganagar (Rajasthan) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिष्कृत होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्वेफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।
10. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति को अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की राशि को बढ़ाते रहते हैं तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

1. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (वैकटेश शर्मा) शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलौगंज, जोर बाग रोड नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जाये।
4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर।
6. उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर।
7. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्योला, सुरतगढ़-305006
8. रक्षित पत्रावली

(सुरेश अग्रवाल) विशेषाधिकारी, वन



HIMACHAL PRADESH STATE ELECT "A State Government Und

NOTICE INVITING TENDER (E-T)

Online tender (having two parts bid) are invited for the fol
Documents). The Dates of Sale/Receipt and Opening of tender
Notice can also be downloaded from website <http://www.hpste>

Sr. No.	Tender No.	Name of Work	Price tende docur includ GST(n refunc (Rs)
1.	DED-01/2023-24	Hiring of one no. private Mahindra Bolero Camper (MUJ) (Bolero Utility) alongwith Driver to be used as maintenance vehicle under Electrical Division, HPSEBL, Dehra.	590
2.	DED-09/2023-24	Tender for prov. Proposed 11/0.4 KV, 63 KVA S/stn Timal at Kathiara-II UESD, HPSEBL, Pragpur.	590
3.	DED-10/2023-24	Tender for prov. 11 KV HT Line to Proposed 11/0.4 KV, 63 KVA S/stn Timal at Kathiara-II UESD, HPSEBL, Pragpur.	590
4.	DED-11/2023-24	Tender for prov. 3 Ph LT Line for Re-org. of LD System to link the proposed 11/4 KV 63 KVA S/Stn Timal at Kathiara-II UESD, HPSEBL, Pragpur.	590
5.	DED-12/2023-24	Tender for prov. Proposed 11/0.4 KV, 63 KVA S/stn Dhaliara 5th UESD, HPSEBL, Dhaliara.	590
6.	DED-13/2023-24	Tender for prov. 11 KV HT Line to Proposed 11/0.4 KV, 63 KVA S/stn Dhaliara 5th UESD, HPSEBL, Dhaliara.	590
7.	DED-14/2023-24	Tender for shifting of 11 KV HT Line & LT Line passing over the Plot of M/S Premier Alcobev Pvt. Ltd. From 11 KV Feeder Phase-II under ESD, HPSEBL, Terrace.	590
8.	DED-15/2023-24	Tender for prov. 11 KV HT Line to Proposed 11/0.4 KV, 63 KVA S/stn Kanol-II UESD, HPSEBL, Dhaliara.	590
9.	DED-16/2023-24	Tender for prov. Proposed 11/0.4 KV, 63 KVA S/stn Kanol-II UESD, HPSEBL, Dhaliara.	590
10.	DED-17/2023-24	Tender for prov. New 2-ph & 1-ph LT line to Repl. Lengthy service with bare cond. From existing 100 KVA S/Stn Karoa under ESD, HPSEBL, Dhaliara.	590
11.	DED-18/2023-24	Tender for prov. LT extension against Lengthy service in vill. Sanda, Guralla, & Gandhwal in 'E' Sec Seulkhad under ESD, HPSEBL, Dadasiba.	590
12.	DED-19/2023-24	Tender for Repl. Lengthy service with bare cond. and aug Of LT line 1-ph to 3-ph to improve the low voltage problem of various villages under ESD, HPSEBL, Dadasiba.	590
13.	DED-20/2023-24	Tender for prov. 1-ph to 2-ph & 2-ph to 3-ph LT Extension and aug of LT line in vill. Garfi, Pragpur & Nalsuha under ESD, HPSEBL, Pragpur.	590
14.	DED-21/2023-24	Tender for LT Extension to LOH in Vill. Jambal & Tangdu from existing 63 KVA S/Stn Jambal under ESD, HPSEBL, Dhaliara.	590
15.	DED-22/2023-24	Tender for providing new prepainted GI sheet after replacement of old CGI sheets for roofing of 33/11 KV 2 X 1.60MVA Sub Station Control Room building at Haripur under Electrical Sub-Division Haripur Electrical Division HPSEBL Dehra Distt. Kangra (HP)	590

TERMS AND CONDITIONS:-Price of tender in advance shall be deposi
conditions, see tender Documents.

"SAVE ENERGY FOR THE BENEFIT OF SELF & NATION"



TATA POWER

THE TATA POWER COMPANY LIMITED

Corporate Identity No: L28920MH1919PLC000567

Regd. Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400001

Tel: +91 22 6665 8282;

Email: tatapower@tatapower.com Website: www.tatapower.com

NOTICE

Transfer of Equity Shares held in the Company to the Investor Education and
Protection Fund ("IEPF")

This notice is in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the IEPF

HIMACHAL PRADE PUBLIC WORKS DEPAR

e-Procurement No

INVITATION FOR BIDS

The Executive Engineer (NH) Division HPPWDNahan Distt. Sirm

online bids on percentage rate, in electronic tendering system, in 2
from the eligible and approved contractors/Firms registered with PWD

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost (in Rs.)
1	2	3

Ref : FP/RJ/SCH/148169/2021

Dated : 23-12-2024

Project Name : Forest Land diversion Proposal for 0.9830 hector for construction of Existing School Established since 1963 for Extension government secondary school at village Rampura Nyola, Chak 1 RM, Murba No. 103/310 ka kila no. 21,22,23 and Murba No. 103/311 ka kila No. 1,2,3,9,10, Tehsil- suratgarh, District Sri Ganganagar in the state of Rajasthan

Proposal No. - FP/RJ/SCH/148169/2021

Forest Land Proposed for diversion :- 0.9830 hector

Date of proposal : 07-10-2021

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 15 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (142) वन/2022 जयपुर, दिनांक 24-11-2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में राजस्थान सरकार वन विभाग के आदेश पत्रांक प. 1(142) वन/2022, जयपुर दिनांक 24-11-2022 एवं श्रीमान उपवन संरक्षक श्रीगंगानगर का कार्यालय पत्रांक 7861, दिनांक 19-12-2022 एवं पत्रांक एफ () सर्वे/उवसं/2022-23/1773, दिनांक 10-05-2023 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर द्वारा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है, की सूचना आपको प्रेषित की जा रही है। क्रमोन्नति आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है। प्रयोक्ता अभिकरण प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) वन विभाग द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली विधिवत स्वीकृति की समस्त शर्तों का पालन पूर्ण निष्ठा, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यपरायणता पूर्वक पालन करने को हमेशा वचनबद्ध रहेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

(संलग्न:- विद्यालय क्रमोन्नति आदेश)

८९

10/12

रमेश कुमार
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

Yours Faithfully

(Signature)

(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्यौला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ. कोड-2255
(M) 9783552456

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2022-23

दिनांक : 23/03/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)-माध्यमिक।

विषय : 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।
प्रसंग : शासन का पत्रांक : प. 4(6)शिक्षा-1/2022 जयपुर, दिनांक 22.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022-23 के बिन्दू संख्या 25 एवं 28(IV) की अनुपालना में 3433 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 395 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति अग्रिम शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आईडी संख्या 102201286 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्त:-

1. क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2022-23 से प्रारंभ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारंभ की जा सकती है।
3. उक्त विद्यालयों में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारंभ किया जावे तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही दिये होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावें।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
6. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

(काना राम)

कार्यरक्षक

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।

(ओम प्रकाश)

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

रामपुरा न्यूला (सुरतगढ़)

डी.डी.ओ. कोड-2255

(M) 9782557456

9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श दि/शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. संक्षिप्त पत्रावली।

51
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


(ओम प्रकाश)
प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रामपुरा न्योला (सूरतगढ़)
डी.डी.ओ.कोड-2255
(M) 9783552456

1585	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	08010133303	GOVT. SECONDARY SCHOOL AKKANWALI (211888)	
1586	GANGANAGAR	SURATGARH	08010821405	GOVT. SECONDARY SCHOOL AMARPURA (212215)	
1587	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	08010718701	GOVT. SECONDARY SCHOOL BARUWALA (212162)	
1588	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010307101	GOVT. SECONDARY SCHOOL CHAMARKHERA (211961)	
1589	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	08010795302	GOVT. SECONDARY SCHOOL COMPULSORY RAISINGHNAGAR (479939)	
1590	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010300901	GOVT. SECONDARY SCHOOL DALIYANWALI 5 BGS (211950)	
1591	GANGANAGAR	ANOOPGARH	08010678401	GOVT. SECONDARY SCHOOL DHABAN (226930)	
1592	GANGANAGAR	SURATGARH	08010838801	GOVT. SECONDARY SCHOOL FARIDSAR GHAW (478202)	
1593	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	08010146902	GOVT. SECONDARY SCHOOL FATUHI (211899)	
1594	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010331703	GOVT. SECONDARY SCHOOL GANESHEWALA (211989)	
1595	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010319801	GOVT. SECONDARY SCHOOL GODUWALI DHANI (211984)	
1596	GANGANAGAR	SURATGARH	08010841101	GOVT. SECONDARY SCHOOL HARISINGHPURA (478289)	
1597	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010312701	GOVT. SECONDARY SCHOOL HATHIYANWALA (478460)	
1598	GANGANAGAR	SURATGARH	08010845401	GOVT. SECONDARY SCHOOL HINDOR (467622)	
1599	GANGANAGAR	SURATGARH	08010843401	GOVT. SECONDARY SCHOOL HINIRASAR (227389)	
1600	GANGANAGAR	PADAMPUR	08010417501	GOVT. SECONDARY SCHOOL JIWANDESAR (212039)	
1601	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010309303	GOVT. SECONDARY SCHOOL JOGIWALA (211965)	
1602	GANGANAGAR	ANOOPGARH	08010902501	GOVT. SECONDARY SCHOOL KARNISAR (212259)	
1603	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	08010101701	GOVT. SECONDARY SCHOOL KHAKHAN (211834)	
1604	GANGANAGAR	SURATGARH	08010802301	GOVT. SECONDARY SCHOOL KIKARWALI JOHRI (212199)	
1605	GANGANAGAR	VIJAYNAGAR	08010522501	GOVT. SECONDARY SCHOOL MAGHEWALI DHAANI (224858)	
1606	GANGANAGAR	SURATGARH	08010846824	GOVT. SECONDARY SCHOOL NO.4 SHIVBARI ROAD SURATGARH (212235)	
1607	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010313302	GOVT. SECONDARY SCHOOL PRATAPPURA (211971)	
1608	GANGANAGAR	SURATGARH	08010845201	GOVT. SECONDARY SCHOOL RAJIASAR GHANW (480175)	
1609	GANGANAGAR	RAISINGHNAGAR	08010714101	GOVT. SECONDARY SCHOOL RAMJIWALA (212155)	
1610	GANGANAGAR	SURATGARH	08010849512	GOVT. SECONDARY SCHOOL RAMPURA NYOLA 1RM (212197)	
1611	GANGANAGAR	SURATGARH	08010853202	GOVT. SECONDARY SCHOOL SIDHUWALA (212252)	
1612	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	08010147503	GOVT. SECONDARY SCHOOL SUGAR MILL COLONY (211902)	
1613	GANGANAGAR	SURATGARH	08010828101	GOVT. SECONDARY SCHOOL SUKHCHAINPURA (212221)	
1614	GANGANAGAR	SADULSHAHAR	08010314901	GOVT. SECONDARY SCHOOL SUNDER PURA (211974)	
1615	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	08010118402	GOVT. SECONDARY SCHOOL TELEWALA GANGANAGAR (211858)	
1616	GANGANAGAR	KARANPUR	08010208402	GOVT. SECONDARY SCHOOL WARD NO.8 39H BURJWALA (211913)	
1617	GANGANAGAR	SURATGARH	08010861501	SHRI GURUSHARAN CHHABRA GOVT. SECONDARY SCHOOL PURANI ABADI SURATGARH (212257)	
1618	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020534501	GOVT. SECONDARY SCHOOL 1 LGW (489489)	
1619	HANUMANGARH	SANGARIA	08020607501	GOVT. SECONDARY SCHOOL 11-12 KSD (211131)	
1620	HANUMANGARH	RAWATSAR	08020402301	GOVT. SECONDARY SCHOOL 14 BPM (493556)	
1621	HANUMANGARH	HANUMANGARH	08020132501	GOVT. SECONDARY SCHOOL 19 SSW (212317)	
1622	HANUMANGARH	TIBBI	08020703301	GOVT. SECONDARY SCHOOL 19AG (491230)	
1623	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020504801	GOVT. SECONDARY SCHOOL 2 TKW (214723)	
1624	HANUMANGARH	HANUMANGARH	08020114901	GOVT. SECONDARY SCHOOL 23 NDR (212299)	
1625	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020500902	GOVT. SECONDARY SCHOOL 26 PBN (465913)	
1626	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020500502	GOVT. SECONDARY SCHOOL 34STG (214717)	
1627	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020522401	GOVT. SECONDARY SCHOOL 45 NDR (412531)	
1628	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020524701	GOVT. SECONDARY SCHOOL 6 HLM (227040)	
1629	HANUMANGARH	BHADRA	08020321101	GOVT. SECONDARY SCHOOL ALAYALA (214671)	
1630	HANUMANGARH	NOHAR	08020221802	GOVT. SECONDARY SCHOOL BALASAR (227045)	
1631	HANUMANGARH	BHADRA	08020313002	GOVT. SECONDARY SCHOOL BEER BHADRA (214646)	
1632	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020520101	GOVT. SECONDARY SCHOOL BHAGSAR (214744)	
1633	HANUMANGARH	NOHAR	08020200202	GOVT. SECONDARY SCHOOL BHAGWAN (227044)	
1634	HANUMANGARH	NOHAR	08020204404	GOVT. SECONDARY SCHOOL BHAGWANSAR (212341)	
1635	HANUMANGARH	PILIBANGAN	08020507601	GOVT. SECONDARY SCHOOL BHOLEWALA (214728)	
1636	HANUMANGARH	RAWATSAR	08020405104	GOVT. SECONDARY SCHOOL BUDHWALIYA (214688)	
1637	HANUMANGARH	TIBBI	08020701707	GOVT. SECONDARY SCHOOL CHAHUWALI (211144)	
1638	HANUMANGARH	NOHAR	08020208701	GOVT. SECONDARY SCHOOL CHARANVASI (227043)	
1639	HANUMANGARH	BHADRA	08020302001	GOVT. SECONDARY SCHOOL CHIDIA GANDHI 6 SDR (212399)	
1640	HANUMANGARH	HANUMANGARH	08020113911	GOVT. SECONDARY SCHOOL CHOHLANWALI (212298)	
1641	HANUMANGARH	NOHAR	08020200301	GOVT. SECONDARY SCHOOL DHANI LALKHAN (227420)	
1642	HANUMANGARH	RAWATSAR	08020409104	GOVT. SECONDARY SCHOOL DHANI MAHELA (489976)	
1643	HANUMANGARH	BHADRA	08020318801	GOVT. SECONDARY SCHOOL DHOLPALIYA (493906)	
1644	HANUMANGARH	RAWATSAR	08020401101	GOVT. SECONDARY SCHOOL GANDHINAGAR (214678)	
1645	HANUMANGARH	HANUMANGARH	08020118401	GOVT. SECONDARY SCHOOL GANGAGARH (412476)	
1646	HANUMANGARH	RAWATSAR	08020408601	GOVT. SECONDARY SCHOOL GHANIYASAR (466557)	

(ओम प्रकाश)

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

रामपुरा न्यूला (सुरतगरह)

डी. डी. ओ. कोड-2255

(M) 9783552456